पंजीकृत

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक : 5919 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–43/2015 दिनांक : 27/07/2017

कार्यालय–ज्ञाप

मेसर्स बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, लालगढ़ी, जनपद–एटा का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–2345एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–43/15, दिनांक 01.04.2015 द्वारा दिनांक 30.06.2017 तक के लिए किया गया था।

मेसर्स बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर एवं विभाग के मध्य जनपद लखीमपुर–खीरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत पैकेज सं0–यू0पी0–4447 (महेवागंज से बेडनापुर मार्ग निर्माण हेतु) अनुबन्ध सं0–91/एस0ई0/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/08–09, दिनांक 02.03.2009 गठित किया गया था। उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष जमानत के रूप में मेसर्स बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर द्वारा एफ0 डी0आर0 सं0–0056669 डी0आर0 नं0–के0डी0/2099/2009, दिनांक 14.02.2009 रू0 1.00 लाख, एफ0डी0आर0 सं0–005669 डी0आर0 नं0–के0डी0/3009/2009, दिनांक 28.02.2009 रू0 1.85 लाख एवं एफ0डी0आर0 सं0–0065669 डी0आर0 नं0–के0डी0 2090/2009, दिनांक 14.02.2009 रू0 6.70 लाख (कुल रू0 9.55 लाख) श्रेयस ग्रामीण बैंक (प्रवर्तक कैनरा बैंक) मुख्य शाखा जनपद–एटा की प्रस्तुत की गयी थी।

अनुबन्ध के अनुसार अनुबन्धित कार्य कराने हेतु कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 02.03.2009 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 01.03.2010 निर्धारित थी, किन्तु फर्म द्वारा अनुबन्ध के सापेक्ष निर्माण कार्य अनुबन्धित समय से पूर्ण न कर, अनुबन्ध में दी गयी समयवृद्धि में दिनांक 28.06.2011 को पूर्ण किया गया था। तत्पश्चात् फर्म को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से 05 वर्ष तक अनुबन्ध के सापेक्ष किये गये कार्य का अनुरक्षण किया जाना था, जो दायित्व फर्म द्वारा निर्वहन नहीं किया गया, जबकि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2(प्र0प0), लो0नि0वि0, लखीमपुर–खीरी के पत्रांक–807/अनुरक्षण, दिनांक 08.09.2012, पत्रांक–938/अनुरक्षण, दिनांक 17.10.2012 एवं पत्रांक–312/एस0टी0/13, दिनांक 08.04.2013 द्वारा नोटिस दिये गये और अनुरक्षण कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

फर्म द्वारा अनुरक्षण कार्य दिनांक 21.01.2012 तक प्रारम्भ न किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा अनुबन्ध की शर्त सं0–52 के अन्तर्गत अनुबन्ध को टर्मिनेट करने का नोटिस पत्र सं0–5998/110सी0(पी0एम0जी0एस0वाई0खीरी)/12, दिनांक 30.10.2012 द्वारा दिया गया, फिर भी फर्म द्वारा अनुबन्ध की सामान्य शर्त सं0–23.01 एवं 32.12 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सूचित किये गये कार्यों का अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0 एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–285/60काम–पी0एम0जी0एस0वाई0/13, दिनांक 28.06.2013 द्वारा अनुबन्ध सं0–91/एस0ई0/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त बरेली/08–09, दिनांक 02.03.2009 को निरस्त करते हुए उसके सापेक्ष जमा जमानती धनराशि जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.06.2013 के क्रम में अनुबन्ध के सापेक्ष जमानती धनराशि रू0 9.55 लाख को सम्बन्धित बैंक से कैश कराने की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावृत (मुख्य शाखा) जनपद–एटा के पत्र सं0–30/जी0सी0/ईएम/74/2014–15, दिनांक 15.07.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रेयस ग्रामीण बैंक एटा प्रर्वतक कैनरा बैंक एवं ग्रामीण बैंक आफ आर्यावृत दोनों एक ही बैंक हैं तथा मे0 बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, लालगढ़ी जनपद–एटा के नाम से उपरोक्त एफ0डी0आर0 निर्गत नहीं की गयी है। उक्त तथ्य के संज्ञान में आने पर अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड–1, लो0नि0वि0, लखीमपुर–खीरी के पत्र दिनांक 14.09.2016 द्वारा फर्म के साझेदरों के विरूद्ध थाना कोतवाली लखीमपुर–खीरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। स्पष्ट है कि अनुबन्ध के सापेक्ष कूट रचित एफ0डी0आर0 लगायी गयी थी। इस प्रकार फर्म द्वारा धोखाधड़ी कर विभाग में फर्जी एफ0डी0आर0 जमा की गयी, जिनके कैश न होने के कारण रू0 9.55 लाख की शासकीय क्षति की देनदारी का मामला विभाग के समक्ष उत्पन्न हुआ है।

फर्म के उक्त अपकृत्य एवं आचरण के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र सं0–2290एमटी/सामान्य वर्ग/54एम–43/2015, दिनांक 09.05.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्थिति स्पष्ट

क्रमशः पेज–2 पर

करने की अपेक्षा की गयी। कारण बताओ नोटिस पर फर्म का उत्तर दिनांक 22.06.2017 इस कार्यालय में दिनांक 23.06.2017 को प्राप्त हुआ, जिसमें अनुबन्ध के सापेक्ष फर्जी एवं कूटरचित एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने के बिन्दु पर साक्ष्य समर्थित खण्डात्मक उत्तर नहीं दिया गया है। अनुबन्धित कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से 05 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में फर्म द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। फर्म के पार्टनर श्री प्रदीप कुमार सिसोदिया द्वारा फर्म की तरफ से दिये गये उत्तर में उक्त प्रकरण से अनभिज्ञता प्रकट की गयी है।

उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा दिनांक 01.04.2015 को दिये गये पंजीकरण के सापेक्ष जो अनुभव प्रमाण पत्र आदि लगाये गये थे, वे वर्ष 2008–09 के हैं, स्वयं श्री प्रदीप कुमार सिसौदिया फर्म के पार्टनर 51 प्रतिशत के हिस्सेदार हैं, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये इनकम टैक्स रिटर्न, वाणिज्यकर पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि अभिलेख पंजीकरण के काफी पहले के हैं। साथ में उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 28.06.2013 तथा बैंक रिपोर्ट दिनांक 15.07.2015 एवं फर्म के पार्टनरों के विरूद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.09.2016 से स्पष्ट है कि फर्म के पार्टनर प्रश्नगत प्रकरण से भली–भाँति भिज्ञ रहे हैं। इस कारण फर्म द्वारा उत्तर में जो कथन किया गया है, वह वास्तविकता के विपरीत है।

उपरोक्त समीक्षात्मक विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अनुबन्ध के सापेक्ष फर्जी/कूटरचित एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार सूचित करने पर भी अनुरक्षण कार्य न करने के अपकृत्य फर्म एवं साझेदारों के विरूद्ध प्रमाणित होते हैं। अतः शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु0(7), दिनांक 02.12.1974 तथा ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली 1982 के नियम–15 में निहित व्यवस्थानुसार मे0 बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर ग्राम व पोस्ट–लालगढ़ी, जनपद–एटा एवं उनके साझेदारों (1) श्री प्रदीप कुमार सिसौदिया, (2) श्री वीरेन्द्र सिंह, (3) श्रीमती कैला श्री को काली सूची में डाले जाने का आदेश एतद्द्वारा पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रमावी होंगे।

ह0/–
(अनीस अहमद खाँ)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 27.04.2017 के सन्दर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर मवन, लखनऊ।
9. उपनिबन्धक, फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स, एटा (उ0प्र0) को उनके पत्रांक–04ए0जी0/07, दिनांक 07.04.2012 के सन्दर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, ~~कम्प्यूटर सेल~~, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेषित। कम्प्यूटराइजेशन खण्ड
12. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड–1, लो0नि0वि0, खीरी को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त फर्म/ठेकेदार को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पंजीकृत 13. मेसर्स बी0एस0 इन्जीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, ग्राम व पोस्ट–लालगढ़ी, जनपद–एटा।

27.7.17

वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (सा0),
लो0नि0वि0, लखनऊ
22/7/2017